रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2011/कार्तिक 3, 1933

No. 591] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2011/KARTIKA 3, 1933

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 784(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (ञ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) तृतीय संशोधन नियम, 2011 है ।

(2) ये 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होंगे ।

2. विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में,—

(क) नियम (5) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

(ख) खंड (घ) में, उप-नियम (1) के तृतीय परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

(ग) नियम 12 में, उप-नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) इन नियमों के अधीन मात्रा की घोषणा में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शब्द अथवा पद अंतर्विष्ट नहीं होगा जिससे पैकेज में अंतर्विष्ट वस्तु की मात्रा के बारे में बढ़ा-चढ़ा कर, भ्रामक या अपर्याप्त प्रभाव पड़े या पड़ने की सम्भावना हो ।",

(घ) नियम 19 में, उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(7) पैकेजों पर अनिवार्य घोषणाओं की अपेक्षा फैक्ट्री स्तर पर और फैक्ट्री के डिपो के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी ।",

(ङ) नियम 19 में, उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(8) इस नियम के उपबंधों का अनुपालन न करने पर, इन पैकेजों के पाँच प्रतिनिधिक नमूनों को अभिग्रहण कर साक्ष्य के रूप में कार्रवाई की जा सकेगी और शेष पैकेजों को, यथास्थिति, निर्माता अथवा पैकर द्वारा अनुपालन पूरा करने के पश्चात् ही छोड़ा जाएगा ।",

(च) नियम 26 में खंड (क) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

(छ) चतुर्थ अनुसूची में स्तंभ 3 के क्रम संख्यांक 15 के सामने की प्रविष्टि ''आयतन'' के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''वजन''

[फा. सं. डब्ल्यू एम-11(13)/2010]

मनोज कुमार परिड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 202(अ), तारीख 7 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 734(अ), तारीख 30 सितम्बर, 2011 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th October, 2011

G.S.R. 784(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) of sub-section (2) of Section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011, namely :—

1. (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Packaged Commodities) Third Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from 1st July, 2012.

2. In the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(a) the proviso to the Rule 5 shall be omitted.

(b) in clause (d), sub-rule (1) third proviso shall be omitted.

(c) in rule 12, for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) the declaration of the quantity under these rules shall not contain any word or expression, of any sort whatsoever, which tends to create or is likely to create an exaggerated, misleading or inadequate expression as to the quantity of the commodity contained in the package.",

(d) in rule 19, for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(7) the requirement of mandatory declarations on packages shall be ensured either at the factory level and at the depot of the factory.",

(e) in rule 19, for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(8) For non-compliance of the provisions of this rule, action may be taken after seizing five representative samples of the packages as evidence and the rest of the packages may be released only after compliance is completed by the manufacturer or the packer, as the case may be.",

(f) in rule 26, in clause (a), the proviso shall be omitted.

(g) in the Forth Schedule, for the entry "volume" in column 3 against serial number 15, the following entry shall be substituted, namely :—

"weight".

[F. No. WM-11(13)/2010]

MANOJ KUMAR PARIDA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 202(E), dated 7th March, 2011 and last amended, *vide,* notification number G.S.R. 734(E), dated 30th September, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.